देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2021/mmp/04 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | गुरुवार 7 जनवरी 2021

निगम की शह पर अवैध निर्माण का खेल!!!

भाग-1

आठ दुकानों को मिलाकर बन रहा अवैध काम्प्लेक्स!!

नगर निगम ग्रेटर के झोटवाडा ज़ोन में स्थित जसवंत नगर,खातीपुरा रोड पर स्थित 8 कमर्शियल दुकानों 20,21,22,23,49,50,51,52 को मिलाकर बनाया जा रहा अवैध काम्प्लेक्स,जिसके लिए बेसमेंट खोदा जा चुका है और छत डालने की तैयारी है|

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

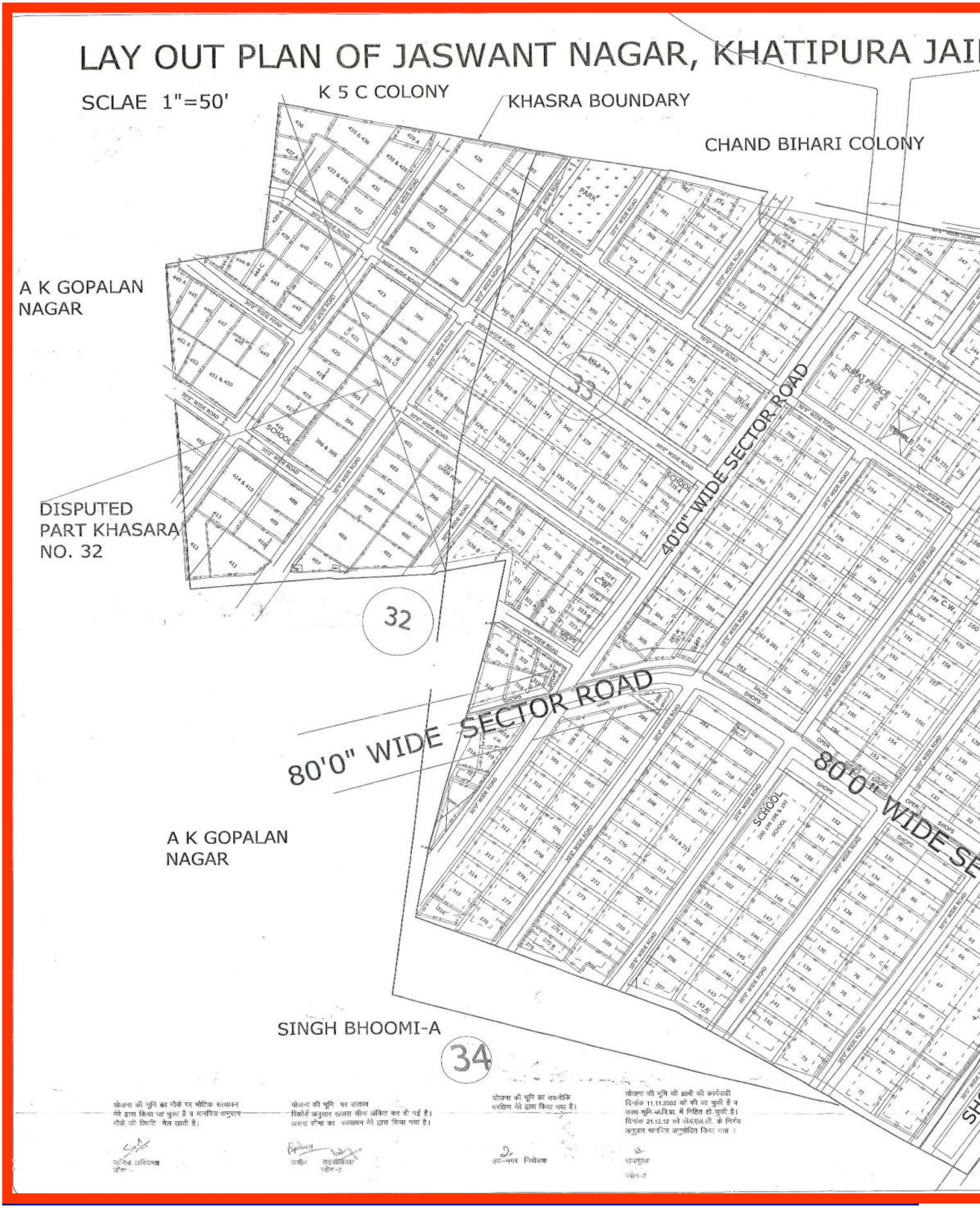

LAY OUT PLAN OF JASWANT NAGAR, KHATIPURA JAI
SCLAE 1"=50'
K 5 C COLONY
KHASRA BOUNDARY
CHAND BIHARI COLONY
A K GOPALAN NAGAR
DISPUTED PART KHASARA NO. 32
33
32
40'0" WIDE SECTOR ROAD
80'0" WIDE SECTOR ROAD
80'0" WIDE SE
30'0" WIDE ROAD
PARK
SCHOOL
SHOPS
TEMPLE
OPEN PLOT
A K GOPALAN NAGAR
SINGH BHOOMI-A
34
योजना की भूमि का तकनीकि परीक्षण मेरे द्वारा किया गया है।
दिनांक 11.11.2002
दिनांक 21.12.12
उप-नगर नियोजक

इन आठ दुकानों को मिलाकर बनाया जा रहा है यह अवैध काम्प्लेक्स!!

भवन विनियमों के अनुसार बिल्डिंग निर्माण के लिए भूखंडों का पुनर्गठन करवाना आवश्यक है,और भवन विनियमों के अनुसार ही सेटबैक,पार्किंग सुविधा और अग्निशमन मानकों की पालना सुनिश्चित की जानी होती है|जिसकी पालना नहीं करने पर यह बिल्डिंग अवैध निर्माण की श्रेणी में मानी जायेगी|

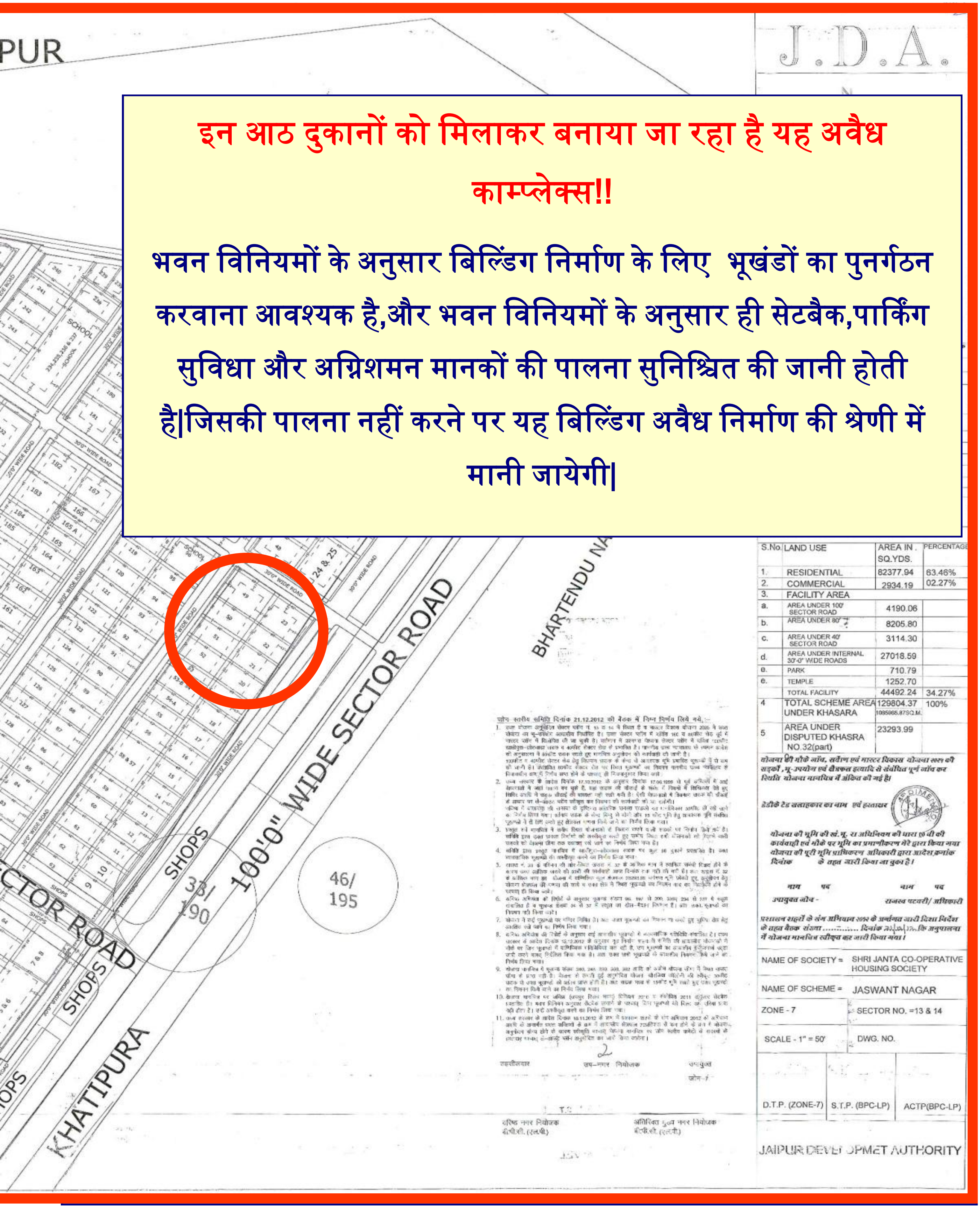

प्रथम सुचना रिपोर्ट

1.	भूखंडो का पता	शॉप संख्या 20,21,22,23,49,50,51,52 जसवंत नगर,खातीपुरा जयपुर
2.	संचालित गतिविधि	व्यवसायिक निर्माण
6.	उल्लंघन की संभावित प्रकृति	बिना पुनर्गठन करवाए,बिना नक़्शे पास करवाए एवं बिना अनुमति,बिना भवन विनियमों के बेसमेंट सहित बहुमंजिला व्यवसायिक कोम्प्लेक्स का निर्माण
7.	सम्बंधित ज़ोन	नगर निगम ग्रेटर,झोटवाडा जोन
8.	कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी(प्रवर्तन स्तर पर)	ज़ोन उपायुक्त श्रीमति ममता धाकड़ एवं नगर निगम के राजेश यादव
9.	सक्षम अधिकारी को शिकायत प्रेषण दिनांक	07/01/2021

जवाब मांगते सवाल?

1. क्या भवन मालिक द्वारा विधिक रूप से इन दुकानों का पुनर्गठन करवा लिया गया है?
2. क्या सैन्य क्षेत्र की 500 मीटर की परिधि में बहुमंजिला इमारतों के निर्माण पर पाबन्दी नहीं है?
3. क्या भवन मालिक द्वारा सक्षम प्राधिकरण से मानचित्र अनुमोदित करवा कर निर्माण करवाया गया है?
4. क्या भवन मालिक द्वारा भवन विनियमों के अनुसार सैटबैक मापदंडों का पालन किया जा रहा है?
5. क्या भवन मालिक द्वारा बेसमेंट की अनुमति ली गयी है?
6. क्या भवन मालिक द्वारा इन दुकानों की एक मुश्त/वार्षिक लीज मनी जमा करवा दी गयी है?
7. क्या भवन मालिक द्वारा इन दुकानों का यू.डी. टेक्स जमा करवा दिया गया है?
8. यह मामला जे.डी.ए./नगर निगम के आला अधिकारियों के संज्ञान में आने के बावजूद यदि कोई कार्यवाही नहीं होती है और बिल्डिंग के अवैध निर्माण को आंच नहीं आती तो क्या सक्षम प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारियों का यह आचरण भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता है?
9. क्या जे.डी.ए./नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटीशन 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार; में दिए गए आदेशों की अवमानना के दोषी नहीं है?
10. क्या इस अवैध निर्माण के विरुद्ध आज दिनांक तक कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है?क्यों उन शिकायतों पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी?

अवैध निर्माण नहीं रोकना भी भ्रष्टाचार

उच्च न्यायालय ने दिखाई सख्ती

जयपुर @ पत्रिका . अवैध निर्माण सहित अन्य अवैध गतिविधियां नहीं रोकने वाले लोकसेवकों पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई का रास्ता खुल गया है। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण सहित अन्य अवैध गतिविधियों पर सख्ती दिखाते हुए सोमवार को भ्रष्टाचार निरोधक कानून के दायरे के बारे में जानकारी के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिरीक्षक दिनेश एमएन को तलब किया। कोर्ट ने 20 अप्रेल को जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त, नगर निगम आयुक्त को तलब किया है।

जज महेश चन्द्र शर्मा ने मोहनलाल नामा की अवमानना याचिका पर यह आदेश दिया। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण मामले में 22 जनवरी 2015 को अभ्यावेदन देने का आदेश दिया था। इस पर कार्रवाई न होने पर यह याचिका दायर की है। प्रार्थीपक्ष की ओर से अधिवक्ता विमल चौधरी ने कोर्ट को बताया कि जयपुर शहर में अवैध निर्माण व कब्जे हो रहे हैं। कोर्ट के आदेशों की अवमानना हो रही है। अवैध निर्माण व कब्जों को रोकने के लिए राज्य सरकार ने अधिकारियों को क्षेत्रवार जिम्मेदारी दी है। कोर्ट ने इस पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है या नहीं? जवाब के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिरीक्षक दिनेश एम एन को तलब किया। उन्होंने दायित्व के प्रति अनदेखी को भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में माना।

कार्रवाई संभव

अतिरिक्त महाधिवक्ता जी एस गिल ने कहा कि अवैध निर्माण या अवैध गतिविधियां रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी जानबूझकर कार्रवाई न करे या अनदेखी करे तो उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए प्रक्रिया अपनानी होगी। गिल के आग्रह पर कोर्ट ने आदेश दिया कि मामले में कोई आदेश जारी करने से पहले जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त व जयपुर नगर निगम आयुक्त से जवाब तलब किया जाए।

सुनवाई 20 को

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोई भी अधिवक्ता पक्ष रखना चाहे तो वह सुनवाई के दौरान पक्ष रखने को स्वतंत्र होगा। मामले की सुनवाई अब 20 अप्रेल को सुबह 11 बजे होगी।